भारत का सर्वोच्च न्यायालय
कृष्णा राय (मृत) विधिक प्रतिनिधि के द्वारा
बनाम
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय निबंधक के माध्यम से
16 जून, 2022
लेखक: विक्रम नाथ
बेंच: एएस बोपन्ना, विक्रम नाथ, न्यायाधीशगण

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

2022 की सिविल अपील संख्या 4578–4580

2012 के विषेश अपील संख्या 24, 09 एवं 25 में पारित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.07.2016 से उत्पन्न

कृष्णा राय (मृत) विधिक प्रतिनिधि के द्वारा अपीलकर्ता

बनाम

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय निबंधक के माध्यम से प्रतिवादी

निर्णय

विक्रम नाथ, न्यायाधीश

1.अपील स्वीकृत.

2. 2021 के IADNo.133982 की अनुमति है।

3. इन तीन सिविल अपीलों में, इस न्यायालय को यह निर्णय लेने के लिए कहा गया है कि क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय[1], वाराणसी, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नति की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले वैधानिक सेवा नियमों पर रोक और स्वीकृति का सिद्धांत लागू होगा या नहीं। विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि वैधानिक नियम लागू होंगे और उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जबकि डिवीजन बेंच, हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश के तर्क से सहमत थी कि नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया था, फिर भी आगे बढ़े वैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित वैधानिक बल वाली पात्रता 1 बीएचयू शर्तों के ऊपर एस्टोपेल और स्वीकृति के सिद्धांत को लागू करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द करने के लिए।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था और प्रतिवादी नंबर 3 से 16 की पदोन्नति को रद्द करने के बाद, कानून और टिप्पणियों के अनुसार नए सिरे से पदोन्नति के लिए अभ्यास करने का निर्देश दिया था। उक्त निर्णय. डिवीजन बेंच ने अपील की अनुमति दी, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया और रिट याचिका खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर, मूल रिट याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष अपील में हैं।

5. संक्षेप में तथ्य यह है कि पदोन्नति के माध्यम से तृतीय श्रेणी (जूनियर क्लर्क ग्रेड) के 14 पदों को भरने के लिए, विश्वविद्यालय ने दिनांक 17.12.2005 को एक अधिसूचना/विज्ञापन जारी कर स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कनिष्ठ लिपिक के वेतनमान 30504590 रु. में पदोन्नति के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। उपरोक्त अधिसूचना में निर्धारित पात्रता इस प्रकार है:

> *"पात्रता:*
>
> *सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिन्होंने पांच साल की सेवाएं दी हैं और जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण की है, 25% पदोन्नति कोटा के तहत जूनियर क्लर्क के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।*

1 BHU

ऐसे पात्र उम्मीदवारों का परीक्षण किया जाएगा:

अंग्रेजी/हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग परीक्षा; और टेस्ट में सफल होने के बाद.

ध्यान दें: यदि कोई कर्मचारी टाइपिंग टेस्ट पास नहीं करता है और अन्यथा पदोन्नति के लिए पात्र है, तो उसे इस शर्त के अधीन पदोन्नत किया जाएगा कि वह अपनी पदोन्नति की तारीख से दो साल के भीतर टाइपिंग टेस्ट पास कर ले, अन्यथा वह ऐसा नहीं कर पाया तो वापस कर दिया जाएगा.

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों के लिए टाइपिंग टेस्ट साल में कम से कम दो बार आयोजित किया जाए। एक घंटे की अवधि के सरल अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित के दो पेपर।"

6. यहां यह बताना समीचीन होगा कि इसी बीच 20.04.2006 को कम्प्यूटर टाइपिंग टेस्ट आयोजित करने का निर्णय लिया गया। हालाँकि, एक अभ्यावेदन दिए जाने पर, उक्त कंप्यूटर टाइप टेस्ट को दिनांक 19.04.2006 के पत्र के माध्यम से स्थगित कर दिया गया था और बाद में दिनांक 04.05.2006 को संचार के माध्यम से यह सूचित किया गया था कि अंतिम मेरिट सूची लिखित टाइपिंग टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। परीक्षण और साक्षात्कार] टाइप टेस्ट कंप्यूटर या मैन्युअल टाइपराइटर पर लिया जा सकता है। टाइपिंग परीक्षा 16.05.2006 को आयोजित की गई थी; लिखित परीक्षा 23.09.2006 को आयोजित की गई थी और साक्षात्कार 31.05.2007 और 01.06.2007 को आयोजित किया गया था। इसके बाद, चयन/पदोन्नति के लिए नियुक्त परीक्षक बोर्ड द्वारा मेरिट सूची तैयार की गई और तदनुसार, इसकी सिफारिशों के अनुसार, 14 चयनित उम्मीदवारों (प्रतिवादी संख्या 3 से 16) को 05.06.2007 को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 3 से 16 को नियुक्त करने के निर्णय के खिलाफ एक अभ्यावेदन दिया, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 02.07.2007 को खारिज कर दिया।

7. व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने 2007 की रिट याचिका संख्या 37741 दायर की; श्रीकृष्ण राय और 33 अन्य ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 1, कुलपति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को प्रतिवादी नंबर 2 और 14 चयनित उम्मीदवारों को प्रतिवादी नंबर 3 से 16 के रूप में पक्षकार बनाया। याचिका मुख्य रूप से दायर की गई थी। इस आधार पर कि विज्ञापन/अधिसूचना, जो मैनुअल के पैराग्राफ 6.4 के अनुसार पात्रता शर्तों को निर्धारित करते हुए जारी की गई थी, किसी भी साक्षात्कार के लिए प्रदान नहीं की गई थी, लेकिन बाद में, खेल के नियमों को बदल दिया गया और निर्धारित पात्रता शर्तों का उल्लंघन किया गया। पैरा 6.4 में, परीक्षकों के बोर्ड के पास पात्रता शर्तों को निर्धारित करने वाले पैराग्राफ 6.4 में संशोधन करने का कोई अधिकार या शक्ति नहीं थी, जिसने एक साक्षात्कार शुरू किया। परीक्षकों के बोर्ड ने निम्नलिखित विभाजन के साथ कुल 100 अंकों में से मेरिट सूची तैयार करने के लिए मानदंड निर्धारित किए: टाइप टेस्ट के लिए 20 अंक, हिंदी, अंग्रेजी और अंकगणित की लिखित परीक्षा के लिए 60 अंक और 20 अंक साक्षात्कार।

8. बी.एच.यू. तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 16 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, मैनुअल के पैरा 6.4 में निर्धारित और कार्यकारी परिषद, जो कि सर्वोच्च प्राधिकारी है, द्वारा विधिवत अनुमोदित पात्रता शर्तों पर विवाद नहीं किया गया था। बहस के दौरान भी, बीएचयू के विद्वान वकील अपीलकर्ताओं की इस बात पर सहमत हुए कि परीक्षक बोर्ड के पास पात्रता शर्तों या मैनुअल के पैरा 6.4 के तहत निर्धारित प्रक्रिया को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। यह भी निर्विवाद है कि परीक्षक बोर्ड को पदोन्नति की प्रक्रिया में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं था या दूसरे शब्दों में, यह मैनुअल के पैरा 6.4 में संशोधन नहीं कर सकता था। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि यह केवल कार्यकारी परिषद ही है, जो मैनुअल के पैरा 6.4 के तहत निर्धारित प्रक्रिया/पात्रता को संशोधित या संशोधित कर सकती थी।

9. विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री और प्रतिवादी बीएचयू और निजी उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों पर विचार करने के बाद यह विचार किया कि परीक्षकों के बोर्ड ने टाइप टेस्ट पर अंक देकर चयन करने में गंभीर त्रुटि की है।

10. विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। इसने दिनांक 05.06.2007 और 02.07.2007 को लागू आदेशों को रद्द कर दिया, साथ ही तृतीय श्रेणी के पद पर प्रतिवादी संख्या 3 से 16 की नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया और इसके अलावा बीएचयू को तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए नए सिरे

से चयन करने और इसे तीन महीने के भीतर शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया। कड़ाई से नियमों के अनुसार और ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में। इसने 50,000/– रुपये की लागत भी निर्धारित की। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का ऑपरेटिव भाग यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"56. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 5.6.2007 और 2.7.2007 के आक्षेपित आदेश और उत्तरदाताओं 3 से 16 की चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्तियाँ रद्द की जाती हैं।*
>
> *57. विश्वविद्यालय को उन रिक्तियों के विरुद्ध तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए नए सिरे से चयन करने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए अधिसूचना दिनांक 17.12.2005 द्वारा चयन किया गया था और इसे शीघ्रता से और किसी भी मामले में, प्रस्तुति की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा करें। इस आदेश की प्रमाणित प्रति पूर्णतः नियमों के अनुसार और ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में।*
>
> *58. याचिकाकर्ता लागत के हकदार हैं जो कि मेरे द्वारा मात्र रू0 50,000/–निर्धारित की गयी है।*

11. पैराग्राफ संख्या 53, 54 और 55 में निहित विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को भी यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"53. वर्तमान मामले में, मैं यह देखने के लिए बाध्य हूं कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना ने मैनुअल के खंड 6.4 में निहित बातों को स्पष्ट रूप से दोहराया है। खेल के नियमों से सभी को अवगत कराया गया था, लेकिन परीक्षक बोर्ड, जिसका गठन उपरोक्त निर्धारित मानदंडों के अनुसार चयन करने के लिए किया गया था, ने खेल के बीच में नियमों को बदल दिया और बी.एच.यू. में वर्ग IV से वर्ग III तक पदोन्नति के लिए लागू मौजूदा नियमों से अज्ञात तरीके से चयन किया। यह पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना था। यह सर्वविदित है कि खेल के दौरान खेल के नियमों को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

54. उपरोक्त चर्चा के आलोक में इस न्यायालय को कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया है और इस तरह से विचार किया गया है जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा वर्ग IV से वर्ग III में पदोन्नति पर विचार करने के लिए कभी विचार नहीं किया गया था।

55. एक और पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ऐसी पदोन्नति करते समय विभिन्न मामलों में एक–दूसरे से बिल्कुल असमान व्यक्तियों पर विचार करना होगा। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसे 1977 में नियुक्त किया गया था, उसके पास चतुर्थ श्रेणी पद का बहुत लंबा अनुभव है, लेकिन व्यक्तित्व और अन्य पहलुओं के संदर्भ में, उसकी तुलना 10, 20 या 25 वर्षों के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सेवा में प्रवेश करने वाले अपने से कहीं अधिक कनिष्ठ कर्मचारी से नहीं की जा सकती है। इसके बाद की शैक्षिक उन्नति को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

यह स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों को 1977 से 1997 तक नियुक्त किया गया था, यानी याचिकाकर्ताओं को दशकों की सेवा के बाद तृतीय श्रेणी पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने का अवसर मिला। ऐसे व्यक्तियों के लिए, साक्षात्कार को चयन का एक हिस्सा बनाने से, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रासंगिक प्रक्रिया में इस पर विचार नहीं किया गया था, स्पष्ट रूप से उनके लिए अर्हता प्राप्त करना कठिन हो गया क्योंकि वे बेहतर योग्यता वाले युवा और सबसे कम उम्र के नए कर्मचारियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। लेकिन किसी को यह भी विचार करना चाहिए कि सेवा के अंतिम छोर पर उनके पास लंबा अनुभव है। बेहतर मान–सम्मान की आवश्यकता है ताकि वे अपनी सेवा के अंतिम समय में कम से कम एक पदोन्नति प्राप्त करने के बाद उच्च पद से सेवानिवृत्त हो सकें। मैनुअल में प्रक्रिया निर्धारित करते समय विश्वविद्यालय को इन सभी तथ्यों और अन्य प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से परीक्षकों के बोर्ड ने व्यापक पहलुओं को ध्यान में रखे बिना काम किया। नियमों में निर्धारित स्थापित प्रक्रिया की अनदेखी करके पूरी तरह से अवैध तरीके से काम किया और इसके विपरीत अपने अधिकार और अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर अपनी चयन प्रक्रिया तय की।"

12. बी.एच.यू. तथा निजी प्रतिवादी संख्या 3 से 16 ने भी, 2012 की विशेष अपील संख्या 24 (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य बनाम श्री कृष्ण राय और अन्य), 2012 की विशेष अपील संख्या 9 (श्री सर्वजीत सिंह और अन्य बनाम श्री कृष्ण राय और अन्य) के रूप में पंजीकृत 3 से 16 पसंदीदा इंट्राकोर्ट अपीलें) और 2012 की विशेष अपील संख्या 25 (राम किशोर पांडे और अन्य बनाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य)।

डिवीजन बेंच ने दिनांक 29.07.2016 के फैसले के अनुसार, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह विचार था कि अपीलकर्ता बिना किसी विरोध के परीक्षा प्रक्रिया और साक्षात्कार में उपस्थित हुए, असफल होने पर चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते थे। डिवीजन बेंच ने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में कई फैसलों पर भरोसा किया, जिन पर हम जल्द ही चर्चा करेंगे और तदनुसार विशेष अपील की अनुमति दी, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया और रिट याचिका को खारिज कर दिया।

13. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री तथा पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए केस कानूनों का अध्ययन करने के बाद, अब हम मौजूदा मुद्दे से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं।

14. कार्यकारी परिषद के संकल्प संख्या 223 दिनांक 2/3 नवंबर, 1980 द्वारा विधिवत अनुमोदित मैनुअल के पैरा 6.4 के अनुसार, सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिन्होंने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है और जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण की है। कनिष्ठ लिपिक ग्रेड के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। ऐसे पात्र उम्मीदवारों का अंग्रेजी/हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के ऐसे खंड से जुड़े नोट में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी टाइपिंग टेस्ट पास नहीं करता है और अन्यथा पदोन्नति के लिए पात्र है, तो उसे इस शर्त के अधीन पदोन्नत किया जाएगा कि वह अपनी पदोन्नति की तारीख से दो साल के भीतर टाइपिंग टेस्ट पास कर लेगा। जो ऐसा नहीं कर पाया उसे वापस कर दिया जाएगा। नोट में आगे प्रावधान किया गया है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए टाइपिंग टेस्ट साल में दो बार आयोजित किया जाएगा। पैरा 6.4(ii)(बी) में प्रावधान है कि एक घंटे की अवधि के सरल अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित के दो पेपर आयोजित किए जाएंगे।

15. कार्यकारी परिषद ने अपने संकल्प संख्या 131 दिनांक 29/30.03.1996 के तहत ग्रुप–डी सेवारत कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए रिक्तियों को 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया था और यह भी प्रावधान किया था कि वरिष्ठता सूची विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तैयार की जाएगी। इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि सेवारत कर्मचारियों के लिए निर्धारित योग्यता में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

16. ग्रुप–डी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के संवर्ग में पदोन्नति के लिए निर्धारित उपरोक्त पात्रता एवं प्रक्रिया का शुद्ध प्रभाव यह होगा कि (1) हिंदी/अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ एक प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस प्रकार की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य नहीं था और यहां तक कि वे पात्र उम्मीदवार, जो इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके, लेकिन अन्यथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पात्र थे, उन्हें टाइपिंग परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए शामिल होने के बाद दो साल का समय दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग टेस्ट साल में दो बार आयोजित किया जाएगा।

17. पात्र उम्मीदवारों के लिए आवश्यक एकमात्र परीक्षा विभागीय परीक्षा यानी सरल अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित की परीक्षा में उत्तीर्ण होना था। इस प्रकार, यदि कोई योग्य उम्मीदवार सरल अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होता है और टाइप टेस्ट में भी उत्तीर्ण होता है, तो वह पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची में रखे जाने का हकदार होगा। इसमें आगे कहा गया है कि यहां तक जहां पात्र उम्मीदवार सरल अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित की विभागीय लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में उत्तीर्ण नहीं हो सके, वे अभी भी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे और उन्हें इस शर्त के साथ वरिष्ठता सूची में रखा जाएगा कि वह उसे दो साल के भीतर टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा और इन पदोन्नत उम्मीदवारों के लिए ऐसा टाइपिंग टेस्ट साल में दो बार आयोजित किया जाएगा, यानी कि उनके पास टाइपिंग टेस्ट में शामिल होने और उसके बाद उसे क्वालिफाई करने के कम से कम चार मौके होंगे।

18. वर्तमान मामले में, बड़ी संख्या में सदस्यों वाले परीक्षक बोर्ड ने पूरी प्रक्रिया बदल दी और उन्होंने एक पूरी तरह से नई प्रक्रिया स्थापित की। उन्होंने टाइप टेस्ट को अनिवार्य मानते हुए 20 अंक दिए, सरल अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित की लिखित विभागीय परीक्षा के लिए 60 अंक, प्रत्येक विषय के लिए 20 अंक दिए और आगे 20 अंकों का साक्षात्कार शुरू किया। इस प्रकार, उपरोक्त वितरित कुल 100 अंकों पर मेरिट सूची तैयार की जानी थी।

19. विभिन्न शीर्षों के तहत दिए गए अंकों के आधार पर ऐसी योग्यता सूची तैयार करने के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित मैनुअल में न तो कोई प्रावधान है और न ही कोई अन्य संकेत है। पदोन्नति विभागीय लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त पर वरिष्ठता के आधार पर की जानी थी, एक बार उम्मीदवार चतुर्थ श्रेणी में

पांच साल का अनुभव और मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या समकक्ष होने के पात्र थे। उपरोक्त पात्रता प्रक्रिया से जो आशय और उद्देश्य निकला, वह यह था कि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन वरिष्ठता पदोन्नति का मानदंड होगी।

20. परीक्षकों के बोर्ड ने स्वयं मानदंड बदल दिए और साक्षात्कार शुरू करके इसे पूरी तरह से योग्यता आधारित बना दिया और टाइप टेस्ट, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में दिए गए अंकों के आधार पर मेरिट सूची भी तैयार की। नियमावली के खंड 6.4 के प्रावधानों के अनुसार, टाइप टेस्ट अनिवार्य नहीं था। जो कोई भी टाइप टेस्ट में असफल होगा, उसे इस शर्त पर पदोन्नत किया जा सकता है कि उसे अपनी नियुक्ति के दो साल के भीतर टाइप टेस्ट उत्तीर्ण करना होगा।

21. हमने जो देखा वह यह है कि, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के तर्क को मंजूरी दे दी। डिवीजन बेंच के फैसले का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

> *"जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से यह निरीक्षण किया है कि साक्षात्कार क्षेत्र को धारण करने वाले प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। हमारा भी यही मानना है कि परीक्षक बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। परीक्षकों का बोर्ड अपने दम पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित क्षेत्र को संभालने की प्रक्रिया को नहीं बदल सकता था।"*

22. हालाँकि, डिविजन बेंच ने रोक के सिद्धांत को लागू करने में गलती की कि अपीलकर्ता साक्षात्कार में उपस्थित हुए और असफल होने पर उसी को चुनौती देने के लिए आगे बढ़े और अकेले उस आधार पर अपील की अनुमति दी, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया। डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के तर्क को मंजूरी दे दी है, उसे तकनीकी याचिका पर विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। डिवीजन बेंच को यह विचार करना चाहिए था कि अपीलकर्ता 1977 से काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे और उनसे साक्षात्कार के चरण में गंभीर आपत्ति या विरोध जताने और खेल के नियमों को बदलने के सिद्धांतों को समझने की उम्मीद करना बहुत दूर की बात थी, और अनुचित था।

23. डिवीजन बेंच द्वारा भरोसा किए गए केस कानूनों का वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई अनुप्रयोग नहीं होगा क्योंकि डिवीजन बेंच द्वारा भरोसा किए गए किसी भी निर्णय में यह नहीं कहा गया है कि रोक का सिद्धांत कानून से ऊपर होगा। यह स्थापित सिद्धांत है कि रोक का सिद्धांत कानून पर हावी नहीं हो सकता। कार्यकारी परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित मैनुअल रोक या स्वीकृति के ऐसे किसी भी सिद्धांत पर हावी होगा।

24. डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:

(1) भारत संघ एवं अन्य बनाम. एन. चन्द्रशेखरन और अन्य[2]

(2) उत्कल विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम. डॉ. एनसी सारंगी व अन्य[3]

(3) चन्द्र प्रकाश तिवारी बनाम. शकुन्तला[4]

(4) केए नागमणि बनाम. इंडियन एयरलाइंस[5]

(5) मदन लाल एवं अन्य बनाम. जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य[6]

25. चन्द्रशेखरन (सुप्रा) के मामले में, असफल उम्मीदवारों द्वारा यह दलील दी गई थी कि साक्षात्कार और गोपनीय रिपोर्ट के लिए निर्धारित अंक असंगत रूप से उच्च थे और अधिकारी साक्षात्कार या मूल्यांकन में सुरक्षित होने के लिए न्यूनतम अंक तय नहीं कर सके। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उपरोक्त मामले में किसी वैधानिक नियम या नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पात्रता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

2¼ जेटी 1998(1) एससी 295 ½

3 जेटी 1999 (1) एससी 101

4 2002 (6) एससीसी 127

5 2009 (5) एससीसी 515

6 1995(3) एससीसी 486

26. उत्कल विश्वविद्यालय (सुप्रा) के मामले में, असफल उम्मीदवारों द्वारा की गई आपत्ति चयन समिति की संरचना के संबंध में थी। इसका फिर से वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

27. चंद्र प्रकाश तिवारी (सुप्रा) के मामले में, असफल उम्मीदवार को साक्षात्कार का परिणाम अच्छा नहीं लगा और आपत्ति की गई कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी। इसका वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

28. के.ए. नागमणि (सुप्रा) के मामले में, असफल उम्मीदवारों को समान अवसर दिया गया था और किसी भी वैधानिक नियम के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया था, इस प्रकार, इस निर्णय का भी कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

29. मदन लाल (सुप्रा) के मामले में, असफल उम्मीदवार द्वारा फिर से की गई आपत्ति साक्षात्कार की प्रक्रिया के अनुचित होने के संबंध में थी। इस मामले का भी वर्तमान मामले के तथ्यों से कोई लेना–देना नहीं है।

30. इसके विपरीत, हम पाते हैं कि, डॉ. कृष्ण चंद्र साहू और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य[7], मामले में वैधानिक नियम, यह माना गया है कि उपयुक्तता मानदंड नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने हैं और चयन मानदंड चयन बोर्ड/चयन समिति द्वारा निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि विशेष रूप से अधिकृत न किया जाए। वर्तमान मामले में, सबसे पहले, चयन मानदंड निर्धारित करने के लिए परीक्षक बोर्ड को कोई अधिकार नहीं था और इसके अलावा नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उपयुक्तता मानदंड का स्पष्ट उल्लंघन था। उक्त निर्णय के पारा संख्या 31, 32, 33, 34, 35 और 36 को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"31. अब, सरकारी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राज्य के राज्यपाल को पद उपलब्ध हैं और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए वर्तमान नियम बनाए गए थे। यदि दिए गए संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा, या, उस मामले के लिए, राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं बनाए गए हैं, तो यह इसके लिए खुला होगा कि कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उपयुक्त सरकार (अनुच्छेद 73 के तहत केंद्र सरकार और अनुच्छेद 162 के तहत राज्य सरकार)। हालाँकि, यदि नियम बनाए गए हैं लेकिन वे किसी विषय या मुद्दे पर चुप हैं, तो चूक की आपूर्ति की जा सकती है और नियमों को कार्यकारी निर्देशों द्वारा पूरक किया जा सकता है। (देखें: संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य)।*

32. वर्तमान मामले में, सरकार ने न तो कोई प्रशासनिक निर्देश जारी किया और न ही उन मानदंडों के संबंध में चूक की आपूर्ति की जिनके आधार पर उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित की जानी थी। चयन बोर्ड के सदस्यों ने स्वयं उन अभ्यर्थियों की गोपनीय चरित्र सूची को उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के आधार के रूप में अपनाने का निर्णय लिया, जो पहले से ही होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

33. चयन बोर्ड के सदस्यों या उस मामले के लिए, किसी अन्य चयन समिति के पास चयन के लिए मानदंड निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, जब तक कि वे अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा उस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत न हों। यह मूल रूप से चयन के लिए आधार प्रदान करना नियम बनाने वाले प्राधिकारी का कार्य है। यह न्यायालय आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम वी. सदानंदम और अन्य में निम्नानुसार अवलोकन किया: (एससीसी पीपी. 58384, पैरा 17):

"अब हमारे पास केवल ट्रिब्यूनल का तर्क रह गया है कि पुराने नियम को जारी रखने और किसी भी क्षेत्र से संबंधित कर्मियों को अन्य क्षेत्रों के कार्यालयों में पदोन्नति पर स्थानांतरित करने का कोई औचित्य नहीं है। इस तरह का निष्कर्ष निकालने में, ट्रिब्यूनल ने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा से परे यात्रा की है। हमें केवल यह बताने की जरूरत है कि भर्ती का तरीका और जिस श्रेणी से किसी सेवा में भर्ती की जानी चाहिए, वे सभी मामले विशेष रूप से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हैं। यह न्यायिक निकायों का काम नहीं है कि वे उन श्रेणियों की भर्ती के तरीके को चुनने में कार्यपालिका की बुद्धिमत्ता पर निर्णय लें जिनसे भर्ती की जानी चाहिए क्योंकि वे नीतिगत निर्णय के मामले हैं जो विशेष रूप से कार्यपालिका के दायरे में आते हैं। (जोर दिया गया)।

---

7 1995 (6) एससीसी 1

34. चयन समिति के पास चयन के लिए मानदंड निर्धारित करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र भी नहीं है और न ही आवश्यक निहितार्थ से ऐसी शक्ति ग्रहण की जा सकती है। पीके रामचन्द्र लेयर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य । (एससीसी पृ. 180 81 पैरा 44), यह देखा गया:

"आवश्यक अनुमान के अनुसार, एएसआरबी में आवश्यक योग्यताओं को जोड़ने के लिए ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। यदि ऐसी शक्ति का दावा किया जाता है, तो इसे स्पष्ट होना चाहिए और स्पष्ट कारणों से आवश्यक निहितार्थ द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता है कि नियमों से इस तरह के विचलन से अपूरणीय और अपरिवर्तनीय क्षति होने की संभावना है।

35. इसी प्रकार, उमेश चंद्र शुक्ला आदि बनाम भारत संघ और अन्य में यह देखा गया कि चयन समिति के पास नियमों के तहत निर्धारित मानकों के अलावा अपने स्वयं के मानक निर्धारित करने की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है। इन दोनों निर्णयों का दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य में पालन किया गया था और चयन समिति की सीमा को बताया गया था कि उसके पास न्यूनतम अंक निर्धारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जो एक उम्मीदवार को विवोवोस परीक्षा में सुरक्षित करना था।

36. यह बताया जा सकता है कि अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने का कार्य विधायी है न कि कार्यकारी जैसा कि इस न्यायालय ने बीएस यादव और अन्य में निर्धारित किया था। हरियाणा राज्य और अन्य। इस कारण से भी, चयन समिति या चयन बोर्ड को चयन के लिए कोई मानक या आधार निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं माना जा सकता क्योंकि यह चयन के नियम को कानून बनाने के समान होगा।

31. इसके अलावा टाटा केमिकल्स लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जामनगर[8], के मामले में, यह निर्धारित किया गया है कि कानून के विरुद्ध कोई रोक नहीं हो सकती है। यदि कानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की अपेक्षा करता है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए, और यदि उस तरीके से नहीं किया जाता है, तो कानून की नजर में उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। उक्त निर्णय का पैराग्राफ 18 नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"18. ट्रिब्यूनल का निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ाया गया है कि भले ही नमूने कानून के विपरीत खींचे गए थे, अपीलकर्ताओं को रोक दिया जाएगा क्योंकि नमूने निकाले जाने पर उनका प्रतिनिधि मौजूद था और उन्होंने तुरंत आपत्ति नहीं जताई थी। यह तथ्य और कानून दोनों ही दृष्टि से पूरी तरह से विकृत निष्कर्ष है। वास्तव में, यह काफी हद तक साबित हो चुका है कि जब सीमा शुल्क निरीक्षक ने नमूने लिए तो अपीलकर्ता का कोई भी प्रतिनिधि वास्तव में मौजूद नहीं था। श्री केएम जानी, जो कथित तौर पर उपस्थित थे, ने न केवल यह कहा कि उन्होंने अपीलकर्ताओं के क्लियरिंग एजेंट का प्रतिनिधित्व नहीं किया क्योंकि वह उनके कर्मचारी नहीं थे, बल्कि यह भी कहा कि जब नमूने लिए गए तो वह उपस्थित नहीं थे। वास्तव में, इसलिए, जब नमूने लिए गए तो अपीलकर्ताओं का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। कानून की दृष्टि से भी न्यायाधिकरण को यह समझना चाहिए था कि कानून के विरुद्ध कोई रोक नहीं हो सकती। यदि कानून की आवश्यकता है कि कुछ विशेष तरीके से किया जाए, तो इसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए, और यदि उस तरीके से नहीं किया जाता है तो कानून की नजर में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सीमा शुल्क अधिकारी किसी विशेष निर्धारिती के कृत्यों के आधार पर कानून का पालन करने से मुक्त नहीं हैं। जो चीज़ अवैध है वह किसी तीसरे व्यक्ति के कृत्य से खुद को कानूनी चीज़ में परिवर्तित नहीं कर सकती है।"*

32. ऊपर दर्ज सभी कारणों से, अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं। तदनुसार, उन्हें अनुमति दी जाती है।

33. डिविजन बेंच के दिनांक 29.07.2016 के आक्षेपित फैसले को रद्द किया जाता है और विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 26.08.2011 के फैसले को बहाल किया जाता है।

34. हमें सूचित किया गया है कि कुछ अपीलकर्ता सेवानिवृत्त हो गए हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उनमें से कुछ की मृत्यु भी हो गई है। बाकी अभी भी काम कर रहे हैं. चूँकि परीक्षाएँ वर्ष 2006–07 में पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं, सभी अपीलकर्ता जो मौजूदा नियमों के अनुसार और विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशानुसार पदोन्नति के लिए पात्र पाए जाएंगे, उन्हें सभी परिणामी लाभ दिए जाएंगे। इसके अलावा, जहां अपीलकर्ताओं की मृत्यु हो गई है, लाभ उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा जो कानून के तहत इसके हकदार हैं।

---

8 2015 (11) एससीसी 628

35. लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया गया है।

अपील की स्वीकृति

---

1. BHU
2. JT 1998 (1) SC 295
3. JT 1999 (1) SC 101
4. 2002 (6) SCC 127
5. 2009 (5) SCC 515
6. 1995 (3) SCC 486
7. 1995 (6) SCC 1
8. 2015 (11) SCC 628

Vishal Kumar